

22-

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरो  
अप्रार्थीगण के सम्मन तलबाना पेश  
करे। पेश नहीं करने की स्थिति में  
09 R 5 CPC के तहत कार्यवाही डमल  
में लाई जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी  
दिनांक 18/11/23 को पेश है।

अध्यायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

18/11/23

पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थी के न्यायालय के आदेश की  
पालना नहीं की है। अतः न्यायालय के  
आदेश की अवहेलना में 09 R 5 CPC के  
तहत न्यायिक की जाती है। पत्रावली केमत  
शुल्क चंकर दायित्व दफ्तार है।

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना, जिला नागौर

